सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP01751061206072O
Certificate Issued Date	:	04-Mar-2016 04:43 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI1/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01020988793585730
Purchased by	:	AWADH BUILDCON By PROP SUSHIL KUMAR RAI
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	S.M. PLOT No.5, MAUZA-HARAHUA, PARGANA-ATHGAWAN, TEHSIL-PINDRA, VARANASI
Consideration Price (Rs.)	:	50,00,000 (Fifty Lakh only)
First Party	:	SARVJEET and JAGDISH
Second Party	:	AWADH BUILDCON By PROP SUSHIL KUMAR RAI
Stamp Duty Paid By	:	AWADH BUILDCON By PROP SUSHIL KUMAR RAI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	15,50,000 (FifteenLakh Fifty Thousand only)

Please write or type below this line

Sushil Ku Rai

0001968206

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648288

Sushil Ku Rai

~~विक्रय~~-विलेख

1. भूमि का प्रकार	:	आवासीय
2. वार्ड, परगना	:	अठ्गांवा
3. मोहल्ला/ग्राम	:	हरहुआ
4. सम्पत्ति का विवरण	:	आराजी बन्दोबस्ती नम्बर 5
5. मापन की इकाई	:	वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	2163.86 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति	:	सड़क सरकारी

Sushil Ku Rai

1V032

813146

5000

मै एददत्त द्वारा घोषणा करता एव करती हू
कि यह फोटो प्रतिलिपी सत्य व कथनी कापी है
दिनाक-

निष्पादक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648287

8.	अन्य विवरण	:	कुछ नहीं
9.	सम्पत्ति का प्रकार	:	आवासीय खुली भूमि
10.	सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)	:	कुछ नहीं
11.	कुल आच्छादित क्षेत्रफल	:	कुछ नहीं
12.	स्थित (फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड/अन्य)	:	कुछ नहीं
13.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कुछ नहीं
14.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ नहीं
15.	निर्मित क्षेत्रफल	:	कुछ नहीं
16.	निर्माण का वर्ष	:	कुछ नहीं
17.	सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है	:	नहीं
18.	सरकारी मालियत	:	2,31,54,000/-
19.	देय स्टाम्प	:	16,20,780/-

Sushil Ku Rai

१४०३८

5000

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648286

20. सम्पत्ति की पूरब - जमीन कमला राय
चौहद्दी : पश्चिम - जमीन रुप नारायन वगैरह
उत्तर - स्थानीय सड़क
दक्षिण - जमीन द्वितीयपक्ष।

<u>प्रथम पक्षगण/भूस्वामी (संख्या-02)</u>

सर्वजीत व जगदीश पुत्रगण काशीनाथ बिवासीगण मौजा हरहुआ, परगना अठ्गांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी

<u>द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता (संख्या-01)</u>

अवध बिल्डकॉन, जो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, द्वारा प्रोप्राइटर सुशील कुमार राय पुत्र श्री अशोक कुमार राय निवासी मकान नम्बर एस-1/77बी, चुप्पेपुर, शहर वाराणसी

Sushil Ku Rai

क्रमांक संख्या......

[illegible]

5000/-

[illegible] 311/2011/37

[illegible] 2017

[illegible]

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

VARANASI

4 MAR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648326

विदित हो कि आराजी नम्बर 05 रकबा 0.214 हेक्टेयर स्थित मौजा हरहुआ, परगना अठगांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी के मालिक प्रथमपक्ष हैं, और प्रथमपक्ष का नाम भी राजस्व अभिलेखों में बतौर मालिक व काबिज के दर्ज है और प्रथमपक्ष अपनी उपरोक्त सम्पत्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त भूखण्ड खुली भूमि की शक्ल में है और उस पर कोई निर्माण नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड पर प्रथमपक्ष निर्माण करने के लिए इच्छुक है, परन्तु प्रथमपक्ष के पास इस मद में न तो पर्याप्त धन है और न ही विकास व निर्माण करने हेतु पर्याप्त संसाधन ही है। द्वितीयपक्ष एक विकासकर्ता है और बहुमंजिली भवन के निर्माण करने के सभी संसाधन द्वितीयपक्ष के पास उपलब्ध है एवं द्वितीयपक्ष के पास पर्याप्त धन भी है, लिहाजा प्रथमपक्ष ने उपरोक्त भूभाग का विकास करने एवं उस पर बहुमंजिली आवासीय भवन बनाने के लिए सम्पर्क किया और द्वितीयपक्ष के समक्ष अपने पैसा व संसाधन से निर्माण करने हेतु प्रस्ताव दिया, जिस पर द्वितीयपक्ष सहमत है। इस सम्बन्ध में उभयपक्षों ने

Sushil Ku Rai

32.115/10/36

लाइसेंस की अवधि

वारायनपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648325

यह उचित समझा कि एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट तहरीर कर लिया जाय, ताकि भविष्य में उभयपक्षों के मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न न हो। लिहाजा उभयपक्ष अपनी-अपनी स्वतंत्र इच्छा से एवं स्वस्थ शारीरिक व मानसिक अवस्था में समक्ष गवाहान यह अनुबन्ध लिख देते हैं और निम्नलिखित घोषणा के साथ निम्न शर्तों से आबद्ध होते हैं:-

01. यह कि प्रथमपक्ष एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि इस अनुबन्ध के अंत में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी प्रथमपक्ष ही हैं।

02. यह कि उभयपक्ष के बीच यह शर्त तय हुई है कि निम्नवर्णित सम्पत्ति को द्वितीयपक्ष विकसित करेगा और उस पर बहुमंजिली आवासीय भवन का निर्माण करेगा और उसमें आने वाले सभी खर्च द्वितीयपक्ष वहन करेगा।

Sushil Ku Rai

४००१

८३।९६

[illegible]

[illegible]

५००१

२।५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648324

03. यह कि प्रथमपक्ष निम्नवर्णित सम्पत्ति पर अपना अध्यासन पूर्ण रूप से हटाकर उस पर निर्माण कार्य करने हेतु द्वितीयपक्ष को अध्यासित कर दिया है तथा प्रथमपक्ष यह भी आश्वस्त करते हैं कि द्वितीयपक्ष द्वारा विकास एवं निर्माण का कार्य करने में प्रथमपक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हस्तक्षेप या अवरोध नहीं किया जायेगा और यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य द्वितीयपक्ष द्वारा कराये जाने में कोई व्यवधान डाला जायेगा तो उपरोक्त व्यवधान या रूकावट को दूर करने की जिम्मेंदारी प्रथमपक्ष की होगी।

04. यह कि द्वितीयपक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति पर जो निर्माण कार्य करेगा उसके बाबत वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करायेगा और मानचित्र स्वीकृत कराने में जो भी खर्च आयेगा, उसे द्वितीयपक्ष वहन करेगा।

रवि ज्योति मिश्रा जगदीश मिश्रा Sushil Ku Rai

२००२
८।३।१६
5000
5/10/36
नारायणपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648358

05. यह कि प्रश्नगत भूभाग पर निर्माण करने हेतु उसमें वर्तमान समय में यदि कोई संरचना पाई जावेगी तो द्वितीयपक्ष उसे हटवा देवेगा।

06. यह कि प्रथमपक्ष निम्नवर्णित सम्पत्ति के मालिकाना के बावत सभी सम्बन्धित अभिलेख द्वितीयपक्ष को उपलब्ध करा देवेंगे और द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन व अन्य सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके वाराणसी विकास प्रधिकरण में प्रस्तुत करेंगे और अपने खर्चे से मानचित्र स्वीकृत करायेंगे।

07. यह कि मानचित्र स्वीकार करने हेतु जो भी आवेदन दिया जायेगा और उससे सम्बन्धित अन्य प्रपत्र व शपथपत्र जो देना होगा, उसे द्वितीयपक्ष स्वयं अपने हस्ताक्षर से देगा और इस हेतु प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को अधिकृत करके एक अधिकार पत्र भी द्वितीयपक्ष के प्रोप्राइटर के हक में लिख कर उनके हवाले कर देवेंगे। द्वितीयपक्ष प्रश्नगत जमीन पर निर्माण अपने प्रोजेक्ट जो इससे सटा है, में मिलाकर करने के लिए स्वतंत्र है।

जगदीश मिश्रा

Sushil Ku Rai

3914

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

क्रेता का नाम व पता

4-3-16

अनिल कुमार उपाध्याय

कलेक्ट्री कचहरी-वाराणसी

क्रम सं० 94/2-14[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

4 MAR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648357

08. यह कि द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर प्रस्तावित निर्माण पूरा कर लेवेंगे और उपरोक्त अवधि में नक्शा स्वीकृती में लगा समय या किसी विवाद के चलते अगर निर्माण कार्य प्रभावित हुआ तो उपरोक्त अवधि तीन वर्ष की अवधि में सम्मिलित नहीं होगी।

09. यह कि आग, भूकम्प, दंगा अथवा किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य ऐसी किसी परिस्थिति जो सामान्य व्यक्ति के नियंत्रण से परे होगी जिसकी वजह से निर्माण कार्य जितने समय के लिए रुका रहेगा, अथवा स्थगित रहेगा, तो उक्त अवधि भी तीन वर्ष की अवधि में सम्मिलित नहीं होगी।

10. यह कि द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण शीघ्र से शीघ्र निर्धारित अवधि में पूरा कर लेवेंगे।

जगदीशमिश्रा Sushil Kr Rai

3215

4-3-16

आवेदन [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] कुमार उपाध्याय

कलेक्ट्री कचहरी-वाराणसी

क्रम सं० [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648356

11. यह कि नक्शा प्राप्ति हेतु नगर निगम प्रदूषण विभाग, जल संस्थान या अन्य किसी विभाग से अनापत्ति लेने की स्थिति में द्वितीयपक्ष उक्त अनापत्तियां हासिल करेगा, जिसके सम्बन्ध में प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष के हक में अधिकार पत्र निष्पादित कर देवेंगे।

12. यह कि विकास एवं निर्माण का कार्य करने हेतु द्वितीयपक्ष आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर आदि नियोजित करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे और मानक के अनुसार इमारती सामानों का इस्तेमाल करके निर्माण कार्य करेंगे और निर्माण कार्य के दौरान अगर कोई अन्य व्यक्ति की कोई क्षति होती है या कोई दुर्घटना होगी तो उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब नहीं होगा।

3216

4-3-16

अनिल कुमार उपाध्याय
कलेक्ट्री कचहरी-वाराणसी
क्रम सं० 94/2/147/84

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 649410

13. यह कि प्रथमपक्ष निर्माण कार्य करने में सभी कार्य करने का अधिकार देते हुए निम्न कार्य करने हेतु भी द्वितीयपक्ष को अधिकृत करते हैं:-

अ) द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण की योजना व नक्शा बनाकर सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके नक्शा स्वीकृति हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण में देंगे।

ब) द्वितीयपक्ष आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सर्वेयर, ठेकेदार, श्रमिक, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री आदि नियोजित करेंगे, जिनका भुगतान द्वितीयपक्ष करेंगे।

स) सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति लेना और बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन लेना तथा बिल्डिंग मैटेरियल जैसे सीमेंट,

20190

06/03/18

क्रमांक संख्या.............................

स्टाम्प विक्रय की तिथि.............................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.............................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.............................

स्टाम्प की धनराशि 8000 .... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम - [illegible]लाल

[illegible] 249 [illegible]

[illegible]

अधिकृत विक्रय करने - दिवानी न्यायालय परिसर

का स्थान व पूरा पता - [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 649411

CHIEF TREASURY OFFICER VARANASI

ईट, छड़, बालू, गिट्टी आदि की व्यवस्था करना द्वितीयपक्ष की जिम्मेंदारी होगी।

14. यह कि समस्त निर्मित क्षेत्रफल का 45 प्रतिशत निर्मित भाग मय आनुपातिक भूभाग भूतल से लेकर अंतिम तल तक प्रथमपक्ष के हिस्से में आयेगा और शेष 55 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल मय आनुपातिक भूभाग प्रत्येक तल पर द्वितीयपक्ष के हिस्से में आयेगा।

15. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा किये गये समस्त निर्मित क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्रफल का 55 प्रतिशत निर्मित भाग में जो फ्लैट आयेगें, उसे इच्छुक क्रेताओं को बुक करने, एलॉट करने या उसका विक्रय करने के लिए द्वितीयपक्ष स्वतंत्र है और रहेगा और इच्छुक क्रेताओं से बुकिंग धनराशि या अग्रिम मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में जो पैसा मिलेगा, वह द्वितीयपक्ष प्राप्त करेगा और अपने इच्छुक क्रेताओं

Sushil Ku Rai

20191
———
05/03/18

क्रमांक संख्या.......................................

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......................................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन....................................... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता....................................... [illegible]

.... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम - [illegible]लाल

[illegible] - 249

[illegible] - ....

[illegible] - दिवानी न्यायालय परिषद

[illegible] - [illegible]णसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 649412

के हक में अनुबन्ध या विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेगा और द्वितीय पक्ष को प्राप्त उपरोक्त अधिकार अखण्डनीय है।

16. यह कि इसी प्रकार सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल का 45 प्रतिशत निर्मित भाग मय आनुपातिक भूभाग प्रथमपक्ष को प्राप्त होगा जिसमें प्रथमपक्ष के दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से मालिक होंगे यानि प्रथमपक्ष के प्रत्येक पक्ष को 22.5 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के निर्धारित अंशो का एक प्लान नक्शा स्वीकृति के अनुसार बनाया जायेगा।

17. यह कि द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष के जगदीश पुत्र काशीनाथ को मुबलिग 50,00,000/-(पचास लाख) रूपया सिक्योरिटी के तौर पर इस शर्त के साथ अदा किया है कि उपरोक्त जगदीश या उसके उत्तराधिकारी को 22.5 प्रतिशत जो निर्मित भाग भूतल पर प्राप्त

सत्यप्रकाश मिश्र । जगदीश मिश्र Sushil Ku Rai

२०१९२

०५/०३/१६

क्रमांक संख्या.......................................

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......................................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......................................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......................................

स्टाम्प की धनराशि.......................................

स्टाम्प विक्रेता का नाम - सोनीलाल

लाइसेंस संख्या - 249

लाइसेंस ... - ....

आवंटित स्थान - दिवानी न्यायालय परिसर

का स्थान व पूरा पता - वाराणसी

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648333

होगा उसमें से 2500 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल मय आनुपातिक भूभाग उपरोक्त मुबलिग 50,00,000/-रूपया के एवज में द्वितीयपक्ष प्राप्त करेगा और 2500 वर्गफीट क्षेत्रफल प्रथमपक्ष के जगदीश या उसके उत्तराधिकारियों के भूतल पर मिलने वाले हिस्से में समायोजित होगा और यदि भूतल से उपरोक्त 2500 वर्गफीट क्षेत्रफल समायोजित होने से शेष रह गया तो वह प्रथमतल एवं तत्पश्चात् उसके उपर के तलों से समायोजित होगा, जिसे द्वितीयपक्ष अपने इच्छुक क्रेताओं को विक्रय करके विक्रय मूल्य प्राप्त करेगा।

18. यह कि द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करेगा और अगर स्वीकृत मानचित्र से परे कोई निर्माण किया जायेगा और उसे शमन करने हेतु कोई अतिरिक्त शुक्ल देना होगा, तो उसकी जिम्मेंदारी द्वितीयपक्ष की होगी, उक्त निर्माण 2.5 एफ०ए०आर० से होगा, परन्तु एफ०ए०आर० क्रय करने के उपरान्त

Sushil Ku Rai

स्टाम्प विक्रय की तिथि..............

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता..............

स्टाम्प की धनराशि..............

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाइसेंस नम्बर 33/95/12/

लाइसेंस की वैधता

अधिकृत विक्रय करने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 648332

कोई अतिरिक्त निर्माण किया जायेगा तो उक्त निर्माण व एफ0ए0आर0 के क्रय करने में आने वाले व्यय व नियमित करने हेतु वी0डी0ए0 के देय धनराशि में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष 45 प्रतिशत व 55 प्रतिशत के अनुपात में वहन करेंगे तथा अतिरिक्त निर्माण में निर्मित क्षेत्रफल मय आनुपातिक भू-भाग भी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष 45 प्रतिशत व 55 प्रतिशत के अनुपात में प्राप्त करेंगे।

19. यह कि प्रश्नगत भूभाग हर प्रकार के भार, चार्ज से बिल्कुल मुक्त है, पर भविष्य में प्रथमपक्ष प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई चार्ज या भार आरोपित नहीं करेंगे और न ही उसे कही पर बंधक रखेंगे और न ही उसके एवज में कोई ऋण लेवेंगे और न ही उसे किसी अन्य व्यक्ति के हक में अंतरित करेंगे और न ही विक्रय हेतु कोई अनुबन्ध करेंगे और उसे हर प्रकार से भारमुक्त रखेंगे और अगर इस अनुबन्ध के निष्पादन के पूर्व निम्नवर्णित सम्पत्ति पर कोई भार

Sushil Ku Rai

विक्रय की तिथि

33/95/12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

Chief Treasury Officer
VARANASI
26 FEB 2016
मुख्य कोषाधिकारी

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 550807

या चार्ज पाया जायेगा तो उसे भारमुक्त कराने की पूरी जिम्मेंदारी प्रथमपक्ष की होगी।

20. यह कि द्वितीयपक्ष प्रश्नगत भूमि पर इमारती सामाने रखने हेतु गोदाम एवं कार्यालय हेतु कमरा या टिनशेड अस्थाई रुप से बनवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

21. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीयपक्ष कों सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल को जो क्रमशः 45 प्रतिशत व 55 प्रतिशत अंश लेना है, उसका डिमार्केशन उभयपक्ष करेंगे और अगर उपरोक्त अनुपात में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के हिस्से का डिमार्केशन करते समय यदि किसी पक्ष के हिस्से में आने वाले अंश का कोई रकबा किसी दूसरे पक्ष के हक में आ जायेगा, जिसे तकनीकी या व्यवहारिक या निर्मित संरचना से दूर नहीं किया जायेगा तो जिस पक्ष के हिस्से में दूसरे पक्ष का

Sushil Ku Rai

स्टाम्प विक्रय की तिथि............

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता............

स्टाम्प की धनराशि............

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]

लाइसेन्स नम्बर 33/95/12[illegible]

लाइसेन्स की अवधि

अधिकृत विक्रय करने [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

26 FEB 2016

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 796500

जो अंश आयेगा, उसकी कीमत सम्बन्धित पक्ष को अदा कर दिया जायेगा।

22. यह कि इस अनुबन्ध के क्रम में यदि कोई दूसरा अनुबन्ध लिखने की आवश्यकता हुई तो पक्षों के बीच लिखा गया पश्चातवर्ती प्रलेख इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ पढ़ा जायेगा।

23. यह कि उभयपक्षों के बीच यदि कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होगातो उभयपक्ष उसका निराकरण आपस में मिल बैठकर करेंगे और यदि कोई हल नहीं निकला तो उभयपक्ष अपने सभी विवाद व मतभेद पंचाट के जरिये हल कर लेवेंगे, जिसमें प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अपने अपने तरफ से एक -एक पंच नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किये गये उक्त दोनों पंच आपसी सहमति से एक तीसरा पंच भी नियुक्त कर लेवेंगे और तीन सदस्यीय पंच

स्टाम्प विक्रय की तिथि.............

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता.............

स्टाम्प की धनराशि.............

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 496979

मंडल द्वारा दिया गया निर्णय उभयपक्षों पर अंतिम व बाध्यकारी होगा।

24. यह कि उभयपक्षों ने इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों को खूब अच्छी तरह से पढ़ व पढ़वा कर सुन व समझ लिया है और उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गये हैं, लिहाजा यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट समक्ष गवाहान लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

<u>विवरण सम्पत्ति</u>

आराजी बन्दोबस्ती नम्बरी 5 रकबा 0.214 हेक्टेयर यानि 23283.2 वर्गफीट यानि 2163.86 वर्गमीटर स्थित मौजा हरहुआ, परगना अठ्गांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, जो खुली भूमि की शक्ल में है और किसी चिन्हित मार्ग पर स्थित नहीं है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

[illegible]

स्टाम्प विक्रय की तिथि........ [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........ [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........ [illegible]

स्टाम्प की धनराशि........ [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]

लाइसेंस नम्बर 33/85/[illegible]

लाइसेंस की अवधि

अधिकृत विक्रय स्थल [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 496978

18

पूरब - जमीन कमला राय

पश्चिम - जमीन रुप नारायन वगैरह

उत्तर - स्थानीय सड़क

दक्षिण - जमीन द्वितीयपक्ष

नोट- अनुबंधित सम्पत्ति किसी चिन्हित मार्ग पर स्थित नहीं है बल्कि वह वाराणसी-जौनपुर मार्ग से काफी दूर 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है और प्रारूप 3(ख)(4) के अनुसार मुबलिग 10,700/- रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से मूल्यांकन मुबलिग 2,31,54,000/- रुपया आता है, जिसपर 7 प्रतिशत की दर से मुबलिग 16,20,800/- रूपये का स्टाम्प शुल्क द्वितीयपक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है, जिसमें से मुबलिग 15,50,000/- रुपया जरिये ई-स्टाम्प संख्या- IN-UP017510612060720 व मुबलिग 70,800/- रूपये का सामान्य स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

Sushil Ku Rai

१५६४६

स्टाम्प विक्रय की तिथि....................[illegible]

स्टाम्प क्रय [illegible] का प्रयोजन....................[illegible]

स्टाम्प क्रेता [illegible]....................[illegible]

स्टाम्प की [illegible]....................[illegible]

[illegible] 33/95[illegible]

[illegible] सवाँय

अधिकृत विक्रय करने [illegible]

[illegible]

ठाकुर [illegible]

[illegible] पुलिस [illegible] कुमार [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 496977

19

साक्षीगण:-

1. पूरा नाम Gaurav Dubey

पिता का नाम Sushil Kr. Dubey

पूरा पता Kutcri chakkey Jalalpur Jaunpur

2. पूरा नाम Shri Shankar Pandey

पिता का नाम Late Kamla Dutt Pandey

पूरा पता Vill & Post - Dafi Varanasi

Sushil Kr Rai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BG 496976

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20

दिनांकः– 08.03.2016 ई0

मसविदाकर्ताः– अभयनाथ यादव एडवोकेट
दीवानी कचहरी, वाराणसी

टाईपकर्ताः– रजनीश कम्प्यूटर्स, शाप नं0 5, प्रथम तल,
सेन्ट्रल बार एसोसिएशन बिल्डिंग,
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

Sunil Ku Rai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

92AC 338537

नक्शा नजरी

आराजी बन्दोबस्ती नम्बरी 5 रकबा 0.214 हेक्टेयर यानि 23283.2 वर्गफीट यानि 2163.86 वर्गमीटर स्थित मौजा हरहुआ, परगना अठगांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी

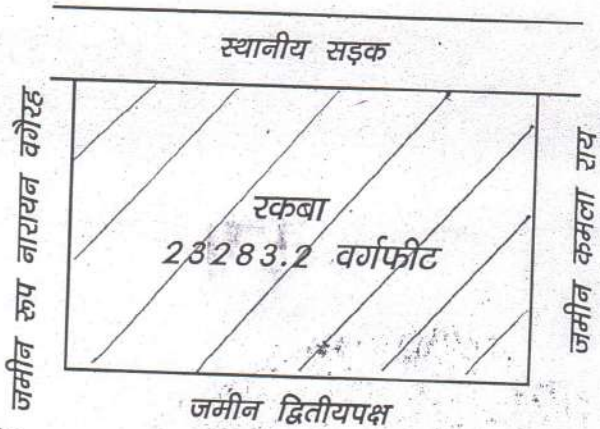

Drawn By: Rajanish कम्प्यूटर्स, शाप नं0 5, सी0बी0एफ0बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी

2. The onus of checking the le...
3. In case of any discrep...

स्टाम्प विक्रय की तिथि ____________

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ____________

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ____________

स्टाम्प की धनराशि ____________

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]

लाइसेन्स नम्बर 33/95/12/[illegible]

लाइसेन्स की अवधि

अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता [illegible]

8/3/16

[illegible]

आज दिनांक 17/03/2016 को

वही सं. 1 . जिल्द सं. 3214

पृष्ठ सं. 391 से 434 पर कमांक 1358

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र कुमार

उपनिबन्धक पिण्डरा

वाराणसी

17/3/2016